जगदीश ताखर के निर्देशन में IAS/RAS की तैयारी हेतु तेजी से उभरता हुआ अग्रणी संस्थान

गीतांजलि एकेडमी

विधि
(Law)

RAS 2013

Rank 09
RAMESH KUMAR

Rank 19
DEEPANSHU CHAUDHARY

Rank 53
SURESH SANKHLA

Rank 69
AASHISH REPSWAL

Rank 99
DEEPIKA SOHU

Head Office

55, श्री गोपाल नगर, महेश नगर थाने के सामने, गोपालपुरा बाईपास

9001789123, 9529142685

सूचना का अधिकार

- प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए सूचना के अधिकर का महत्व है
- वुडरो विन्सन और जैम्स मेडिसन महत्वपूर्ण समर्थक है।
- स्वीडन में सर्वप्रथम 1766 में सूचना के अधिकार का प्रावधान।
- यु.एन.ओ. के पहले अधिवेशन में कहा गया कि सूचना की स्वतंत्रता एक मानवाधिकार है, तथा यु.एन.ओ. की सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है।
- यु.एन.डी.एच.आर. के अनु. 19 में सूचना के अधिकार की गारन्टी दी गई है, जिसे वाक् अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है।
- 1982 में भारत में एस.पी. गुप्ता बनाम भारत संघ के मामले में (यदि एक समाज लोकतंत्र को स्वीकार करता है, तो उसे यह जानने का अधिकार है कि उसकी सरकार क्या कर रही है, इसी मामले में अनु. 19(1) में सूचना जानने और प्राप्त करने की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है।)
- 1923 में ''द ऑफिसीयल सिक्रेट एक्ट'' में सूचनाओं को जनसाधारण से छुपाने का प्रावधान था।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 भी सूचना के अधिकार में बाधा है। (इसमें राज्य के कार्यों को बताना या ना बताना लोकसेवकों पर निर्भर करता है।)
- अरूणाराय और उनके संगठन **''मजदूर किसान शक्ति संगठन''** को भारत में सूचना के अधिकार को जनांदोलन बनाने का श्रेय प्राप्त है।
- 1994 में पाली में इस संगठन ने पहली बार सरकारी कार्यों पर जन सुनवाथी को प्रारम्भ किया।
- 1996 में राजस्थान के ब्यावर कस्बे में सूचना के अधिकार पर व्यापक आंदोलन किया गया है।
- 1996 में अरूण कुमार समिति ने विकास कार्यों की सूचना जनता को देने की सिफारिश की।
- 30 दिसम्बर, 1996 को राजस्थान सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं से सूचना प्राप्ति का अधिकार जनसाधारण को दिया।
- 1996 के लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दलों ने चुनावी घोषणा–पत्र में सूचना के अधिकार को स्थान दिया।
- 1996 में ही सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न्यायाधीश पी.बी. सावंत की अध्यक्षता में सूचना के अधिकार का ड्राफ्ट बिल (प्रारूप) तैयार किया।
- 1997 में इस पर विचार करने के लिए एच.डी. शौरी की अध्यक्षता में कार्यदल गठित किया गया।
- 12 अक्टूबर, 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ।
- परिभाषा :–
  1. कार्य दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण।
  2. दस्तावेजों व अभिलेखों की प्रतियाँ प्राप्त करना।
  3. परिपत्र, रिपोर्ट और आंकड़े प्राप्त करना।
  4. इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में सामग्री प्राप्त करना।
- सचिवालय में प्रशासनिक सुधार विभाग का मुख्य सचिव लोक सूचनाधिकारी होगा।
- ग्राम पंचायत में ग्राम सेवक या पंचायत सचिव लोक सूचना अधिकारी पंचायत समिति–विकास अधिकारी (बी. डी.ओ.) जिला परिषद–मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई. ओ.) (तीनों संस्थाओं में क्रमशः सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख अपील अधिकारी होंगे)
- नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) नगर परिषद–आयुक्त, नगर पालिका–अधिशाषी अधिकारी लोकसूचनाधिकारी होंगे। (क्रमशः महापौर, सभापति और अध्यक्ष अपील अधिकारी होंगे)
- सूचना प्राप्ति के लिए लोकसूचनाधिकारी को आवेदन किया जाएगा, जिसे 30 दिन में उपलब्ध कराया जाएगा। (किसी के लिए मांगी सूचना (तीसरा पक्ष) 40 दिन में उपलब्ध करायी जाएगी।)
- व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता से सम्बन्धित सूचना 48 दिनों के भीतर उपलब्ध करायी जाएगी।
- बी.पी.एल. से सूचना की फीस नहीं ली जाएगी।
- निम्न सूचनाएँ नहीं दी जाएगी। (अधिनियम की धारा–8)
  1. भारत की सम्प्रभुता एकता और सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाली।
  2. ऐसी सूचना जिससे किसी न्यायालय की अवमानना हो।
  3. ऐसी सूचना जिससे सांसदों तथा विधायकों के विशेषाधिकार का हनन हो।
  4. वैदेशिक सरकार के विश्वास से सम्बन्धित सूचनाएँ।
  5. निजता के अधिकार का हनन होता हो।
- किसी घटना से सम्बन्धित कोई सूचना यदि 20 वर्ष से अधिक पुरानी है तो केन्द्र सरकार निर्णय लेगी।
- आर.टी.आई के अंतर्गत निम्न संगठन नहीं आते है।
  (1) आसूचना ब्यूरो (2) नार्कोटिका ब्यूरो
  (3) अर्द्धसैन्य बल (4) परवर्तन निदेशालय (इ.डी.) (5)

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.)(परंतु इन संगठनों से भ्रष्टाचार और मानवाधिकार सम्बन्धी सूचना मांगी जा सकेगी।)

- इन संगठनों की सूचनाएँ 45 दिनों में उपलब्ध करायी जाएगी।
- एक केन्द्रीय सूचना आयोग का प्रावधान।
- एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 केन्द्रीय सूचना आयुक्त।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा।
- नियुक्ति समिति की सिफारिश पर।
- समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष, केबीनेट मंत्री सदस्य, लोकसभा में विपक्ष का नेता। (ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जिन्हें विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा तथा प्रशासन का अनुभव हो) (बचनसिंह मामले में दर्लभतम से दुर्लभतम मामलों में मृत्युदण्ड)
- मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो।)
- राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ।
- राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंप सकते है।
- साबित कदाचार और समर्थतता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। (उच्चतम न्यायालय की जांच प्रकिया के पश्चात)
- प्रत्येक राज्य में एक सूचना आयोग
- मुख्य और 10 अन्य सूचना आयुक्त
- राज्यपाल द्वारा नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर।
- मुख्यमंत्री अध्यक्ष विपक्ष का नेता और कैबीनेट का मंत्री।
- आयोग किसी वाद पर विचार करते समय दीवानी प्रक्रिया संहिता (एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ का सम्बन्ध पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित) 1908 की शक्तियाँ प्राप्त करेगा।
- निर्धारित समय में सूचना प्राप्त ना होने पर 30 दिन के भीतर अपील की जा सकेगी, जिसका निपटारा 45 दिन में करना होगा।
- इस अपील के उत्तर के 90 दिनों के भीतर दूसरी अपील की जा सकेगी।
- सूचना ना देने या गलत सूचना देने पर दण्ड़ का प्रावधान 250 रू. प्रतिदिन जो 2,500 रू. से अधिक ना हो।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

(Important Land Laws in Rajasthan : Rajasthan Land Revenue Act - 1956, Rajasthan Tenancy Act - 1955)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956,

(Rajasthan Land Revenue Act - 1956) –

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में इसके तहत भू–राजस्व वसूली हेतु राजस्व बोर्ड का गठन किया गया है।

- **राजस्व बोर्ड का गठन –** राजस्व बोर्ड को राजस्व सम्बन्धी विवादों के निपटारे का शीर्षस्थ न्यायालय कहा जा सकता है। राजस्थान में यह बोर्ड अजमेर में अवस्थित है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय–2 की धारा 4 से 14 तक में राजस्व बोर्ड के गठन, क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। सन् 1956 के अधिनियम की धारा 4 से 7 में राजस्व बोर्ड के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है।

  इसके अनुसार राजस्थान राज्य के लिये एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय अजमेर में है। इस बोर्ड का गठन एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम 3 एवं अधिकतम 15 सदस्यों से मिलकर होता है। राज्य द्वारा अस्थायी तौर पर सदस्य संख्या में वृद्धि की जा सकती है। नियुक्तियों को शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा। जब अध्यक्ष का पद अस्थायी रूप से रिक्त हो या अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पदीयकृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो ऐसे पदीयकृत्यों का निर्वहन बोर्ड के वरिष्ठतम सदस्य, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का होगा, द्वारा किया जायेगा।

- **क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ :** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 8 से 14 तक में राजस्व बोर्ड के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। इनके अनुसार –

1. **उच्चतम राजस्व न्यायालय –** राजस्व बोर्ड को राज्य में अपील, पुनरीक्षण एवं निर्देशन का उच्चतम राजस्व न्यायालय माना जाता है। (कल्याण बनाम कल्याण 1881 आर. आर. डी. 429) की भू–राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियम की परिधि में आने वाले मामलों

के निवारण एवं विनिश्चय के समय राजस्व बोर्ड एक राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है।

2. **अधीक्षण की शक्ति** – इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये राजस्व बोर्ड को राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों एवं राजस्व अधिकारियों पर सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण की शक्तियाँ प्रदान की गई है (धारा 9 एवं 18)। इन शक्तियों के अन्तर्गत राजस्व बोर्ड ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जिनमें अधीनस्थ न्यायालय विधि के स्पष्ट प्रावधानों की उपेक्षा करते हुये अवैध कार्य करते है।
3. **कारबार का वितरण एवं प्रशासनिक नियन्त्रण** – राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के कारबार के वितरण और संचालन की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। बोर्ड का अध्यक्ष बोर्ड के कार्य का वितरण कर सकेगा और उसे यह अवधारित करने का अधिकार होगा कि कौन से सदस्यों से कोई न्यायपीठ गठित होगी (धारा 10, 2 एवं 16)।
4. **अवमान के लिये दण्ड देने की शक्ति** – राजस्व बोर्ड को अवमान के लिये दण्डित करने के सम्बन्ध में वे ही शक्तियाँ प्रदान की गई है, जो न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 के अधीन उच्च न्यायालय को प्राप्त है।
5. **वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्ति** – अधिनियम की धारा 11 एवं 15 के अन्तर्गत राजस्व बोर्ड की किसी मामले को वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित करने की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार बोर्ड का अध्यक्ष या कोई सदस्य का न्यायपीठ यदि ठीक समझे तो कारण लेखबद्ध करते हुये अपने समक्ष किसी मामले या कार्यवाही में उद्भूत होने वाले विधि के या विधि का बल रखने वाली प्रथा के या किसी भी दस्तावेज के अर्थान्वयन के किसी भी प्रश्न को राय के लिये वृहत्तर न्यायपीठ को निर्देशित कर सकेगी और मामला या कार्यवाही ऐसी राय के अनुसार निपटाई जायेगी।
6. **उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 12 में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ मामले में किसी न्यायपीठ को यह प्रतीत हो कि उसमें विधि को ऐसा कोई प्रश्न को अन्तर्ग्रस्त है, जो सार्वजनिक महत्व का है और उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो न्यायपीठ द्वारा ऐसे प्रश्न को राय हेतु उच्च न्यायालय को निर्देशित किया जा सकेगा। आवश्यक यह है कि मामले में –
   * विधि या विधि का बल रखने वाली प्रथा या रूढ़ि या किसी दस्तावेज के अर्थान्वयन का प्रश्न अन्तर्वलित हो,
   * ऐसा प्रश्न सार्वजनिक महत्व का हो, तथा
   * उस पर उच्च न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन हो।
7. **मतभेद की दशा में विनिश्चय** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में यह उपबन्धित किया गया है कि – बोर्ड द्वारा अपनी अपीलीय, पुनरीक्षण या निर्देशन सम्बन्धी अधिकारिता का प्रयोग अध्यक्ष द्वारा नियुक्त या गठित किसी भी खण्डपीठ द्वारा किया जा सकेगा।
   * यदि खण्ड न्यायपीठ दो या अधिक सदस्यों से बनी हो और सदस्य विधि के किसी भी प्रश्न पर दिये जाने वाले विनिश्चय के बारे में राय में बटे हुये हो तो ऐसे प्रश्न का विनिश्चय सदस्यों के बहुमत से (यदि कोई हो) किया जायेगा।
   * यदि राय के बारे में सदस्य समान रूप से बटे हुये हो तो मामला किसी अन्य सदस्य या सदस्यों को निर्दिष्ट किया जायेगा और ऐसे सदस्यों को जिन्होंने इसे सुना था सम्मिलित करते हुये सदस्यों के बहुमत के अनुसार विनिश्चित किया जायेगा।

   यहाँ यह उल्लेखनीय है, कि खण्ड पीठ के विनिश्चय के विरूद्ध बोर्ड को कोई अपील नहीं हो सकेगी।
8. **नियम बनाने की शक्तियाँ** – राजस्व बोर्ड को निम्नांकित विषयों पर नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान की गई है –
   * बोर्ड की बैठकों को विनियमित करने के लिये।
   * बोर्ड की पद्धत्ति को विनियमित करने के लिये।
   * कार्यवाहियों के लिये बोर्ड में उपयोग में लिये जाने वाले प्रारूपों का उपबन्ध करने के लिये और ऐसे प्रारूप विहित करने के लिये, जिनमें पुस्तिकायें, प्रविष्टियाँ, सांख्यिकी और लेख रखे जायेंगे,
   * वहाँ व्यवसाय करने वाले अधिवक्ताओं और राजस्व अभिकर्ताओं को अनुज्ञात की जाने वाली फीसों की सारणियाँ तय करने के लिये, तथा

* समस्त ऐसे विषयों का विनियमन करने के लिये जिन्हें वह बोर्ड की दक्षता को प्रोन्नत करने और समुचित अनुशान रखने की दृष्टि से ठीक समझे।

9. **अन्य शक्तियाँ –** राजस्व बोर्ड द्वारा ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का निर्वहन किया जायेगा, जो समय–समय पर –
   * राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जाये, या
   * इस अधिनियम के द्वारा या अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि द्वारा बोर्ड को प्रदत्त किये जाये या उस पर अधिरोपित किये जाये।

राजस्व न्यायालय

राजस्व सम्बन्धी विवादों के निपटारे हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में राजस्व न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 17 से 22 तक में निम्नांकित राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों का उल्लेख किया गया है –

1 आयुक्त
2 उप आयुक्त
3 बन्दोबस्त आयुक्त
4 अपर बन्दोबस्त आयुक्त
5 भू–अभिलेख निदेशक
6 अपर भू–अभिलेख निदेशक,
7 कलेक्टर एवं भू–अभिलेख अधिकारी
8 तहसीलदार एवं अपन भू–अभिलेख अधिकारी
9 बन्दोबस्त अधिकारी
10 सहायक कलेक्टर
11 नायब तहसीलदार, तथा
12 राजस्व अपील अधिकारी

- **नियन्त्रण –** सन् 1956 के अधिनियम के अन्तर्गत बन्दोबस्त सम्बन्धित मामलों का नियन्त्रण राजस्व बोर्ड में निहित माना गया है।
- **राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 23(1) के अनुसार –**
  1. भू–अभिलेखों से संसक्त मामलों से भिन्न, राज्य में लगान या राजस्व से संसक्त समस्त न्यायिकेतर मामलों का नियन्त्रण राज्य सरकार में निहित है तथा
  2. समस्त न्यायिक मामलों तथा भू–अभिलेखों से संस्कत समस्त मामालों का नियन्त्रण राजस्व बोर्ड में निहित है।
- **शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य –** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 25 राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की शक्तियों व कर्त्तव्यों (Powers and Duties) का उल्लेख किया गया है। धारा 25 में राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों को निम्नांकित शक्तियों एवं कर्त्तव्यों को उल्लेख किया गया है।
  1. आयुक्त, कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्र में भू–राजस्व अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
  2. बन्दोबस्त आयुक्त राज्यभर में बन्दोबस्त से सम्बन्धित मामलों का भरसाधक होगा और एसी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो उसे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा उसे प्रदत्त की जाये या अधिरोपित की जाये।
  3. इसी प्रकार निदेशक, भू–अभिलेख राज्यभर में सर्वेक्षण, भू–अभिलेखों की तैयारी, पुनरीक्षण आदि का प्रभारी होगा तथा तत्सम्बन्धी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा।
  4. भू–अभिलेख अधिकार व बन्दोबस्त अधिकारी, जो क्रमशः अध्याय 7 एवं 8 के अधीन नियुक्त किये गये हैं, अपने–अपने क्षेत्र में अपने पदीय कृत्यों का निर्वहन एवं शक्तियों का प्रयोग करेंगे।
  5. उप आयुक्त, अपर बन्दोस्त आयुक्त या अपर अथवा सहायक भू–अभिलेख निदेशक या अपर कलेक्टर या अपर तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देश से ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की अधीन क्रमशः आयुक्त, बन्दोबस्त आयुक्त या भू–अभिलेख निदेशक या कलेक्टर या तहसीलदार को प्रदत्त है।
  6. सहायक कलेक्टर या नायब तहसीलदार अपने–अपने क्षेत्र में ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे, जो उन्हें इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या द्वारा

प्रदत्त की जाये या राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से प्रत्यायोजित (Delegate) हो जाये।

- **अतिरिक्त शक्तियाँ** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 26 में राजस्व न्यायालयों एवं अधिकारियों की अतिरिक्त शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर –
  1. किसी नायब तहसीलदार को तहसीलदार की समस्त या कोई शक्तियाँ,
  2. किसी तहसीलदार को सहायक कलेक्टर की समस्त या कोई शक्तियाँ,
  3. किसी सहायक कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी या भू–अभिलेख अधिकारी या कलेक्टर की समस्त या कोई शक्तियाँ, एवं
  4. किसी आयुक्त को निदेशक, भू–अभिलेख की समस्त या कोई शक्तियाँ प्रदत्त की जा सकेगी।
- **अन्तर्निहित शक्तियाँ** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 27 के अन्तर्गत न्यायालय एवं अधिकारियों को निम्नांकित अन्तर्निहित शक्तियाँ (Inherent Powers) प्रदान की गई है।
  1. आयुक्त को बन्दोबस्त आयुक्त अथवा निदेशक भू–अभिलेख की शक्तियाँ प्रदत्त किये जाने पर आयुक्त भू–अभिलेख अधिकारी एवं उसके अधीनस्थ अधिकारियों की समस्त शक्तियाँ रखेगा।
  2. राजस्व अपील अधिकारी को कलेक्टर, उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होगी।
  3. कलेक्टर को उपखण्ड अधिकारी, सहायक कलेक्टर और तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होगी।
  4. उप खण्ड अधिकारी को सहायक कलेक्टर एवं तहसीलदार की समस्त शक्तियाँ होगी।
  5. तहसीलदार को नायब तहसीलदार समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।
  6. भू–अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी को तहसीलदार या नायब तहसीलदार या अध्याय 7 या 8 के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होगी।
- **राजस्व अपील अधिकारी** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 20क के अन्तर्गत राजस्व अपील अधिकारी (Revenue Appellate Officers) के बारे में प्रावधान किया गया है। राजस्व अपील अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी और ऐसे अधिकारियों को राजस्व अपील प्राधिकारी (Revenue Appellate Authority) के नाम से पदभिहित किया जायेगा। राजस्व अपील प्राधिकारी को राजस्व सम्बन्धी न्यायिक मामलों और विधि द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से उपबन्धित अन्य मामलों में –
  1. अपीलों
  2. पुनरीक्षणों एवं
  3. निर्देशों को ग्रहण करने, सुनने एवं उसका निस्तारण करने की अधिकारिता होगी।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 5 की धारा 74 से 87 तक में अपील, पुनरीक्षण, निर्देशन एवं पुनरावलोकन के बारे में प्रावधान किया गया है।

* **अपील** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 74 से 81 तक में अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 74 में यह कहा गया है कि राजस्व न्यायालय या अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील इस अधिनियम के अधीन ही हो सकेगी, अन्य किसी विधि के अधीन नहीं।

* **प्रथम अपील** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–75 के अनुसार सारणी के स्तम्भ–1 में विनिर्दिष्ट किसी आदेश के विरूद्ध अपील सारणी के स्तम्भ–2 में विनिर्दिष्ट अधिकारी को हो सकेगी। आयुक्त में अपर आयुक्त भी सम्मिलित है। उसके आदेश के विरूद्ध अपील भी राजस्व बोर्ड को हो सकेगी।

* **द्वितीय अपील** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा–76 में द्वितीय अपील के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार प्रथम अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील निम्नलिखित को हो सकेगी।

1. बन्दोबस्त या भू–अभिलेख से भिन्न मामलों में कलेक्टर के आदेश से राजस्व अपील प्राधिकारी को,
2. धारा 181 के अधीन कार्य कर रहे किसी कलेक्टर अथवा बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश से बन्दोबस्त आयुक्त को,
3. भू–अभिलेख अधिकारी के आदेश से भू–अभिलेख निदेशक को, तथा

4. आयुक्त या राजस्व अपील प्राधिकारी या बन्दोबस्त आयुक्त के आदेश से राजस्व बोर्ड को।

बोर्ड की कोई दूसरी अपील तब तक नहीं हो सकेगी, जब तक कि बोर्ड को इस बात का समाधान न हो जाये कि विधि का कोई प्रश्न अन्तर्निहित है –

- **वे आदेश जिनके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती –** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 77 में उन आदेशों का उल्लेख किया गया है, जिनके विरूद्ध अपील नहीं हो सकती। ऐसे आदेश निम्नांकित है –

1. परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट आधारों पर पुनर्विलोकन के लिये किसी अपील या आवेदन को ग्रहण करने के आदेश की,
2. पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिये किसी आवेदन को नामन्जूर करने के आदेश की,
3. ऐसे आदेश की जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अन्तिम घोषित कर दिया गया है, तथा
4. आन्तरिक आदेश की।

- **सीमाएँ –** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 78 में अपील के लिये निम्नांकित परिसीमा निर्धारित की गई है –
- **धारा 78 के अनुसार –**

1. आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर कलेक्टर या भू–अभिलेख अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी को,
2. आदेश की तारीख से 60 दिन के भीतर राजस्व अपील प्राधिकारी या बन्दोबस्त आयुक्त या भू–अभिलेख निदेशक को, तथा
3. आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर राजस्व बोर्ड की अपील की जा सकेगी, उसके पश्चात् नहीं।

- **धारा 63 के अनुसार –** आलौच्य आदेश की तारीख से अपील की जा सकेगी –

1. कलेक्टर को – 30 दिन के भीतर
2. आयुक्त अथवा राजस्व प्राधिकारी को – 60 दिन के भीतर
3. राजस्व बोर्ड को – 90 दिन के भीतर

- **अपील प्राधिकारी की शक्तियाँ –** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 80 में अपील प्राधिकारी की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार अपील प्राधिकारी की निम्नांकित शक्तियाँ है –

1. अपील अधिकारी या तो अपील को ग्रहण कर सकेगा या अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उसे संक्षेपतः नामन्जूर कर सकेगा।
2. यदि अपील ग्रहण कर ली जाती है तो सुनवाई के लिये तारीख नियत की जायेगी और उसको नोटिस प्रत्यर्थी पर तामील किया जायेगा।
3. पक्षकारों को यदि वे उपसंजात हो, सुनने के पश्चात् अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है।

* पुष्टि कर सकेगा, या
* उसमें फेरफार कर सकेगा, या
* उसको उलट सकेगा, या
* ऐसा और अन्वेषण कर सकेगा या ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा, जो वह आवश्यक समझे, या
* मामले को ऐसे विनिर्दिष्ट निदेशों के साथ जो वह ठीक समझे, निपटारे के लिये प्रतिपेषित कर सकेगा।

- **निर्देशन –** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में राज्य सरकार या राजस्व बोर्ड को निर्देशन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार–
- **आयुक्त तथा निदेशक –** भू–अभिलेख या कलेक्टर अपने अधीनस्थ किसी भी राजस्व न्यायालय या अधिकारी द्वारा विनिश्चित किसी भी मामले या की गई कार्यवाहियों या अभिलेख पारित आदेश की वैधता या औचित्य के सम्बन्ध में तथा कार्यवाहियों की नियमितता के सम्बन्ध में अपना समाधान करने के लिये मगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा। यदि आयुक्त या निदेशक, भू–अभिलेख या कलेक्टर की यह राय हो कि ऐसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा या अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही या पारित आदेश में फेरफार करना, उसको रद्द करना या उलट दिया जाना चाहिये तो वह उस मामले को, उस पर अपनी राय के साथ यदि मामला न्यायिक प्रकार का है या भू–अभिलेख से सम्बन्धित है तो आदेशों के लिये राजस्व बोर्ड को या यदि मामला ऐसे न्यायिकेतर प्रकार का है, जो भू–अभिलेख से सम्बन्धित नहीं है तो आदेशों के लिये राज्य सरकार को निर्देशित करेगा।

- **पुनरीक्षण** – राजस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 83 से 85 में पुनरीक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। इन दोनों धाराओं में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार – राज्य सरकार अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी द्वारा की गई किसी भी न्यायिकेतर कार्यवाहियों का जो धारा 83 के अनुसार बन्दोबस्त से सम्बन्धित नहीं है और धारा 68 के अनुसार भू–अभिलेख से सम्बन्धित नहीं है, अभिलेख मंगा सकेगी और उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे। इस प्रकार धारा 83 एवं 68 राज्य सरकार को पुनरीक्षण की शक्तियाँ प्रदान करती है। धारा 84 एवं धारा 69 में राजस्व बोर्ड की पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार – बोर्ड अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय या अधिकारी द्वारा निश्चित न्यायिक प्रकार के या धारा 84 के अनुसार बन्दोबस्त से सम्बन्धित एवं धारा 69 के अनुसार भू–अभिलेख से सम्बन्धित किसी भी मामले का, जिसके राजस्व बोर्ड को अपील नहीं होती है, अभिलेख मंगा सकेगा और यदि उसे ऐसा प्रतीत हो कि ऐसे न्यायालय या अधिकारी ने जिसके द्वारा मामला विनिश्चत किया गया था–

1. ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है, जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है, या
2. वह इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है, या
3. उसने अपनी अधिकारिता के प्रयोग में अवैध रूप से या त्वरित अनियमितता से कार्य किया है, या
4. आदेश लोक नीति के विरूद्ध है।

तब वह मामले में ऐसे आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

- **पुनर्विलोकन** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 85क से 87 तक में पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान किया गया है।
- **राज्य सरकार द्वारा पुनर्विलोकन** – धारा 85क तथा 72 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी कार्यवाही के पक्षकार के आवेदन पर इस अधिनियम के अधीन अपने द्वारपारित किये गये किसी भी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी और पुनर्विलोकन में उसके विखण्डित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगी।
- **राजस्व बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 में बोर्ड तथा अन्य न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन के बारे में प्रावधान किया गया है।
- **धारा 86 (1) तथा 73 के अनुसार** – राजस्व बोर्ड स्वप्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के विनिश्चय या आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह न्यायसंगत और समुचित समझे अर्थात् ऐसे आदेश को विखण्डित, परिवर्तित या पुष्ट कर सकेगा।

  बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के विनिश्चिय या आदेश का पुनर्विलोकन तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक उसका इस बात का समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य प्रकट हुआ है, जो सम्यक तत्परता बरतने के पश्चात् भी ऐसे पक्षकार की जानकारी में नहीं आया था, उसके द्वारा उस समय जब ऐसा विनिश्चय या आदेश पारित किया गया था।

  पुनर्विलोकन के दौरान ऐसे विनिश्चय या आदो में फेरफार या उसका पुनरीक्षण तब तक नहीं किया जा सकेगा, जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने और ऐसे आ देश के समर्थन में सुने जाने का नोटिस नहीं दे दिया जाता हैं। पुनर्विलोकन के लिये आवेदन बोर्ड के विनिश्चय या आदेश की तारीख से 90 दिन के भीतर किया जा सकेगा, बाद में नहीं।
- **अन्य न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन** – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 86 2 में अन्य न्यायालयों की पुनिर्विलोकन की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। यह शक्तियाँ एवं प्रक्रिया वैसी ही है जैसी राजस्व बोर्ड के लिये विहित है। इन भू–अभिलेख अधिकारियों की शक्तियाँ एवं कर्त्तव्य वे होंगे, जो समय समय पर निदेशक, भू–अभिलेख द्वारा उन्हें प्रदत्त किये जाये एवं सौंपे जायें।

भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित कृषि भूमि का गैर कृषि कार्यों में प्रयोग सम्बन्धी प्रावधान – कतिपय परिस्थितियों में कृषि–भूमि का गैर–कृषि प्रयोजनों के लिये भी उपयोग किया जा सकता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क में इसी सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।

- **कृषि भूमि का गैर–कृषिक (अकृषिक) प्रयोजनों के लिये उपयोग** – कृषि–भूमि का गैर–कृषि कार्यों के लिये

उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा केवल कतिपय शर्तों एवं निबन्धनों के अन्तर्गत ही किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90क तथा 82 में ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों का उल्लेख किया गया है। यह शर्तें एवं निबन्धन निम्नलिखित हैं –

1. **लिखित अनुज्ञा** – उपधारा (1) के अनुसार कृषि प्रयोजन के लिये भूमि धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति या ऐसी भूमि अथवा उसके किसी भाग का अन्तरिती (Transferee) यदि ऐसी भूमि अथवा उसके भाग का गैर–कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग करना चाहता है, तो उसे इस आशय की कलेक्टर से अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से लिखित अनुज्ञा (Written Permission) प्राप्त करनी होगी। यदि कलेक्टर अथवा अधिकारी द्वारा ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर दी जाती है और अनुज्ञा के साथ कोई शर्त अधिरोपित की जाती है, तो भूमि धारण करने वाले व्यक्ति अथवा अन्तरिती को ऐसी शर्तों के अनुरूप भूमि या उसके भाग का उपयोग करना होगा।
2. **आवेदन किया जाना** – जहाँ कोई व्यक्ति अपनी कृषि का उपयोग गैर–कृषि प्रयोजनों के लिये करना चाहता है, वहाँ उसे इस आशय का एक आवेदन पत्र कलेक्टर अथवा सशक्त प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र विहित प्रारूप में होगा तथा विहित रीति से प्रस्तुत किया जायेगा। (उपधारा–2)
3. **जाँच एवं आदेश** – ऐसा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर कलेक्टर अथवा समक्ष प्राधिकारी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य अधिकारी से इस बाबत जाँच कराई जायेगी और सम्यक् जाँच के पश्चात् कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा –
   - (क) ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार किया जा सकेगा, या
   - (ख) किन्ही शर्तों एव निबन्धनों के अधीन अनुज्ञा दी जा सकेगी। (उपधारा–3)
4. **संदाय का दायित्व** – जब किसी व्यक्ति कृषि को भूमि अथवा उसके किसी भाग पर गैर–कृषि कार्य करने की अनुज्ञा प्रदान कर दी जाती है, तो ऐसे व्यक्ति पर निम्नलिखित राशि (कर या प्रभाव) का संदाय करने का दायित्व होगा।
   - (क) राज्य सरकार द्वारा तद् निमित्त बनाये गये नियमों के अनुसार अधिकथित दर से, भूमि के उस प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु उदग्रहीत सम्परिवर्तन प्रभार (धारा–82(4) (क))
   - (ख) नगर सुधार कर (धारा 90क (4)(क))
   - (ग) भूमि के उस प्रयोजन के लिये उपयोग हेतु पट्टा धन के रूप में ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये (धारा 82 (4)(ख))
   - (घ) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रीमियम के रूप में रकम (धारा 90क (4)(ख))
   - (ङ) दोनों अर्थात् पट्टा धन के साथ–साथ सम्परिवर्तन प्रभार नगर सुधार कर के साथ–साथ प्रीमियम राशि।
5. **बेदखली** – उपधारा–5 में यह प्रावधान किया गया है, कि यदि कोई व्यक्ति कृषि भूमि का गैर–कृषि कार्यों के लिये–
   - (क) कलेक्टर अथवा विहित प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना, अथवा
   - (ख) अनुज्ञा की स्थिति में उसकी शर्तों एवं निबन्धनों का उल्लंघन करते हुये, अथवा
   - (ग) उपधारा–4 में निहित संदायों किये बिना, उपयोग करता है।

   तो उसे विहित रीति से ऐसी भूमि से बेदखल किया जा सकेगा।

   लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा–
   1. सम्परिवर्तन प्रभार,
   2. पट्टा धन, अथवा
   3. नगर सुधार कर,
   4. प्रीमियम राशि, एवं
   5. शास्ति (Penalty)

   का संदाय कर दिया जाता है, तो उसे बेदखल नहीं किया जायेगा तथा ऐसी भूमि का गैर–कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग करने दिया जायेगा। इस प्रकार धारा–90 एवं 82 में उपबन्धित प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा कृषि–भूमि का गैर–कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा सकता है।

   यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इन धाराओं का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, अर्थात् यदि किसी कृषि भूमि का गैर–कृषि कार्यों के लिये उपयोग इन धाराओं के प्रभाव में आने से पूर्व करना प्रारम्भ कर दिया गया है, तो उस पर यह धाराएँ लागू नहीं होगी।

- **सर्वेक्षण एवं अभिलेख परिवर्तन** – सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेखों की समीक्षा एक नियमित प्रक्रिया है।

जब–जब भूमि के सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेखों के प्रवर्तन अर्थात् समीक्षा की आवश्यकता होती है, तब–तब राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर यह कार्य सम्पन्न कराया जाता है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय–7 की धारा 106 से 141 तक में सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रवर्तन (Survey and Record Operation) बारे में प्रावधान किया गया है।

1956 के अधिनियम की धारा 106 से 109 तक में यह कहा गया है कि जब–जब आवश्यकता होगी, राज्य सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर भूमियों का सर्वेक्षण एवं भू–अभिलेखों की समीक्षा कराई जा सकेगी। वह कार्य भू–अभिलेख अधिकारियों द्वारा सम्पन्न किया जायेगा। इस कार्य के लिये राज्य सरकार द्वारा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त भू–अभिलेख अधिकारियों की शक्तियाँ उप कर्त्तव्य वे होंगे जो समय–समय पर निदेशक भू–अभिलेख द्वारा उन्हें प्रदत्त किये जाये एवं सौंपे जाये।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख–प्रवर्तन के दौरान मुख्य रूप से निम्नांकित कार्य सम्पादित किये जाते है –

(क) सीमा चिन्ह (Boundary Marks) लगाना,
(ख) सर्वेक्षण संख्याओं एवं गाँवों का बनाया जाना,
(ग) खेतों का नक्शा एवं रजिस्टर तैयार करना,
(घ) अधिकार–अभिलेख (Record of Rights) तैयार करना।

(क) **सीमाओं का सर्वेक्षण एवं सीमा–चिन्ह अंकित किया जाना –** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 110, 111, 129 व 130 में सीमाओं का सर्वेक्षण करने तथा .....– चिन्ह अंकित किये जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 110 एवं धारा 89 के अन्तर्गत यह कहा गया है कि भूमि अभिलेख अधिकारी।

GA GEETANJALI ACADEMY

गीतांजलि एकेडमी

उत्कृष्ट प्रश्न क्वालिटी के साथ अभ्यास का एक और अवसर

RAS MAINS TEST SERIES SCHEDULE -2016

Date	Subject Total - 7 Test
19 Feb.	Paper-I की Unit-III & Paper-II की Unit-II
26 Feb.	Paper-II की Unit-I & Unit-III, Paper-III की Unit-III
5 March	Paper-III की Unit-I & II एवं राजस्थान जी. के.
11 March	Morning Paper-I Evening Paper-II
12 March	Morning Paper-III Evening Paper-IV

Note : 1. प्रत्येक टेस्ट के पश्चात् सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत उत्तर परिचर्चा उपलब्ध।

2. लेखन शैली सुधार एवं सर्वोत्कृष्ट उत्तर लेखन का मौलिक व विश्लेषणात्मक अभ्यास।

Fees : 3500 रू. Old Student : 2500 रू.

टेस्ट सीरीज संचालन : जगदीश तारवर एवं गीतांजलि टीम द्वारा

55, श्री गोपाल नगर, गोपालपुरा बाईपास

9001789123, 9529142685